



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218741
CG-DL-E-18032020-218741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 968]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1075(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में NH-150A के कि.मी. 272.400 से कि.मी. 284.500 (बेल्लारी - बयारपुरा खंड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलेक्टर और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी, एनएचआई, अनंतपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिग्रहित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर

देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में NH-150A के कि.मी. 272.400 से कि.मी. 284.500 (बेल्लारी - बयारपुरा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: अनन्तापुरामु			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: डी. हिरहल					
गांव का नाम: दण्डिनाहिरहलु					
1	397 /B2	निजी	ड्राई	0.0100000(एकर)	0.0040469
2	566 /AB1	निजी	ड्राई	1.3200000(एकर)	0.5341967
3	586 /3	निजी	ड्राई	0.1600000(एकर)	0.0647511
4	83	निजी	ड्राई	0.3200000(एकर)	0.1295022
गांव का नाम: जज़ीरकल्लु					
1	69 /1B1	निजी	ड्राई	1.0300000(एकर)	0.4168353
2	69 /2B1	निजी	ड्राई	0.4600000(एकर)	0.1861594
3	70 /1B1	निजी	ड्राई	1.0300000(एकर)	0.4168353
4	71 /2A	निजी	ड्राई	2.9000000(एकर)	1.1736139
5	72 /A2A	निजी	ड्राई	0.7400000(एकर)	0.2994739
6	73 /2A	निजी	ड्राई	0.8000000(एकर)	0.3237556
7	75 /B2A2	निजी	ड्राई	0.1200000(एकर)	0.0485633
8	75 /C1B	निजी	ड्राई	0.1500000(एकर)	0.0607042
9	75 /D1B	निजी	ड्राई	0.5000000(एकर)	0.2023472
10	75 /E1B	निजी	ड्राई	0.3100000(एकर)	0.1254553
11	78 /A1B	निजी	ड्राई	0.8100000(एकर)	0.3278025
12	78 /B1B	निजी	ड्राई	0.2000000(एकर)	0.0809389
13	80 /BC1B	निजी	ड्राई	1.3400000(एकर)	0.5422906

14	80 /D1B	निजी	ड्राई	1.6100000(एकर)	0.6515581
कुल				13.8100	5.5888

[फा सं NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3A1]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1075(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-150A in the stretch of land from Km. 272.400 to Km. 284.500 (Bellary to Byrapura section) in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector and Competent Authority for Land Acquisition, NHAI, Anantapuramu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-150A in the stretch of land from Km. 272.400 to Km. 284.500 (Bellary to Byrapura section) in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: Anantapuramu		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: D.Hirehal					
Village: Dandinahirehalu					
1	397 /B2	Private	Dry	0.0100000(Acre)	0.0040469
2	566 /AB1	Private	Dry	1.3200000(Acre)	0.5341967
3	586 /3	Private	Dry	0.1600000(Acre)	0.0647511
4	83	Private	Dry	0.3200000(Acre)	0.1295022
Village: Jajirakallu					
1	69 /1B1	Private	Dry	1.0300000(Acre)	0.4168353
2	69 /2B1	Private	Dry	0.4600000(Acre)	0.1861594
3	70 /1B1	Private	Dry	1.0300000(Acre)	0.4168353

4	71 /2A	Private	Dry	2.9000000(Acre)	1.1736139
5	72 /A2A	Private	Dry	0.7400000(Acre)	0.2994739
6	73 /2A	Private	Dry	0.8000000(Acre)	0.3237556
7	75 /B2A2	Private	Dry	0.1200000(Acre)	0.0485633
8	75 /C1B	Private	Dry	0.1500000(Acre)	0.0607042
9	75 /D1B	Private	Dry	0.5000000(Acre)	0.2023472
10	75 /E1B	Private	Dry	0.3100000(Acre)	0.1254553
11	78 /A1B	Private	Dry	0.8100000(Acre)	0.3278025
12	78 /B1B	Private	Dry	0.2000000(Acre)	0.0809389
13	80 /BC1B	Private	Dry	1.3400000(Acre)	0.5422906
14	80 /D1B	Private	Dry	1.6100000(Acre)	0.6515581
Total				13.8100	5.5888

[F.No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3A1]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.